इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 1 जून 2021—ज्येष्ठ 11, शक 1943

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 जून 2021

क्र. एफ-ए-3-08-2021-1-पांच-(27).—यतः, राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन मध्यप्रदेश राजपत्र में पूर्व प्रकाशन के बिना तत्काल ही किया जाए;

अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 71 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 54 में, उप-नियम (1) में परन्तुक में, खण्ड (ग्यारह) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड जोड़ा जाए, अर्थात्:—

"(बारह) वर्ष 2019-20 से संबंधित संपरीक्षा रिपोर्ट बिना किसी विलंब शुल्क के 30 अप्रैल, 2021 तक प्रस्तुत की जा सकेगी.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 1 जून 2021

क्र. एफ-ए-3-08-2021-1-पांच-(27).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ-ए-3-08-2021-1-पांच-(27), दिनांक 1 जून 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 1st June 2021

No. F-A-3-08-2021-1-V (27).—WHEREAS, the State Government Considers it necessary that the following amendments in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006 shall be made at once without previous publication in the Gazette.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules, 2006, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 54, in sub-rule (1) in the proviso, after clause (xi), the following new clause shall be added, namely:—

"(xii) the audit report pertaining to the year 2019-2020 can be furnished upto 30th April, 2021 without any late fee.".

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.